शिवपुरी

17 वर्षीय भतीजी का शोषण कर रहा था सगा चाचा

कलंकी काका

आरोपी को अदालत ले जाती पुलिस

चाचा और मामा जैसे जिन रिश्तों पर कभी शक नहीं किया जाता था लेकिन आज यही रिश्ते किशोर उम्र बालिकाओं के लिए जहर साबित हो रहे हैं। शिवपुरी में चाचा द्वारा नाबालिग भतीजी के यौन शोषण का मामला इसी श्रृंखला की एक कड़ी है।

जून की झुलसा देने वाली दोपहर के बाद राहत देती आई शाम के कोई 7 बजे का वक्त था जब शिवपुरी कोतवाली थाने में एक युवती ने अपने माता-पिता के साथ प्रवेश किया।

किसी युवती का माता-पिता के साथ थाने आना किसी गंभीर घटना की तरफ इशारा होता है। यह बात टीआई कोतवाली रोहित दुबे अच्छी तरह से समझते थे इसलिए आगंतुक युवती को जल्द ही उन्होंने उसके साथ आए माता-पिता सहित अपनी केबिन में बुलाकर कुर्सी पर बैठने का इशारा करते हुए थाने आने का कारण पूछा।

भावना राठौर एसआई

युवती नजरें झुकाए बैठी थी जबकि उसके माता-पिता चाहकर भी अपने थाने आने का कारण बताने के लिए मुंह नहीं खोल पा रहे थे। यह देखकर टीआई कोतवाली काफी कुछ कहानी समझ गए जिससे उन्होंने महिला पुलिस अधिकारी को बुलाकर मां-बेटी को उनके साथ रवाना कर पिता से पूरी बात बताने को कहा।

इस पर आंखों में आंसू लिए पिता बोला, क्या बताएं सहाब, घर का खून की परिवार की इज्जत का दुश्मन बन गया है। इसके बाद उन्होंने जो कहानी सुनाई उसके अनुसार सर्किट रोड़ पर वह अपने पुश्तैनी मकान में 28 साल के छोटे भाई नरेन्द्र (बदला नाम) के साथ रहते हैं। परिवार में उनके दो बच्चों में सबसे बड़ी 17 वर्षीय बिटिया रानी (बदला नाम) थी जो उनके साथ थाने आई थी। उन्होंने बताया कि उनका अपना सगा भाई जो रानी का सगा चाचा भी है वह रानी के साथ पिछले छह माह से लगातार गलत काम कर रहा है। एक दुखी पिता का आंखों से बह रहा दर्द देखकर टीआई श्री दुबे का दिल भी रो पड़ा। इसी बीच जिस महिला पुलिस अधिकारी के साथ मां बेटी गईं थी उसने भी आकर टीआई को चाचा द्वारा यौन शोषण किए जाने की बात बताते हुए यह भी बताया कि पीड़ित रानी अभी महज 17 साल की नाबालिग है। रानी के नाबालिग होने की बात पर मामला अचानक की गंभीर हो गया। जिसके चलते टीआई कोतवाली ने घटना की जानकारी तत्काल एसपी यांगचेन डोलकर भूटिया को दी जिसके बाद उनसे मिले निर्देश पर नरेन्द्र के खिलाफ बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज कर तुरंत पुलिस की एक टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दी। यहां रानी के माता-पिता के संग थाने जाने की बात उसी घर में रहने वाले नरेन्द्र को पता लग चुकी थी इसलिए पुलिस टीम पहुंचने के पहले वह फरार हो गया। लेकिन कोतवाली पुलिस ने घेराबंदी कर पांच घंटे में ही नरेन्द्र को गिरफ्तार कर लिया। दूसरे दिन नरेन्द्र का मेडिकल करवाने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिए जाने के बाद यह कहानी इस प्रकार सामने आई। रानी का जन्म ही उस समय हुआ था जब नरेन्द्र की उम्र 11 साल की हो चुकी थी। यानी नरेन्द्र ने रानी को अपनी गोद में ही नहीं खिलाया था बल्कि उसे अंगुली पकड़ कर चलना भी सिखाया था। लेकिन रानी को चलना सिखाने वाला एक रोज उसे ऐसे गलत रास्ते पर ले जाएगा इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। खुद नरेन्द्र के मन में भी पहले कोई पाप नहीं था लेकिन एक तरफ जहां रानी की उम्र बढ़ रही थी वहीं दुनिया में स्मार्टफोन आ जाने से अश्लीलता की बाढ़ भी चढ़ती जा रही थी। ऐसे में एक रोज नरेन्द्र जब मोबाइल पर अश्लील फिल्म देखी तो उसके मन में अचानक की किशोर हो चुकी रानी के प्रति गलत विचार आने लगे।

डॉ. देवेन्द्र साहू /इस्लाम शाह

कुछ दिनों तक उसने खुद को इस पाप से दूर रखने की कोशिश की लेकिन आखिर उसका मन हार गया और उसने रानी के मन में अपने प्रति आकर्षण जगाने की कोशिश करना शुरू कर दिया। रानी 15 साल की हो चुकी रानी काफी कुछ समझने लगी थी। लेकिन नरेन्द्र उसका सगा चाचा था इसलिए उसने नरेन्द्र की किसी भी हरकत का वो अर्थ कभी नहीं लगाया जो था। इसलिए साल दो साल की कोशिश के बाद भी जब नरेन्द्र को लगा कि रानी कुछ नहीं समझ रही तो दिसंबर 2025 में एक रोज जब रानी के माता-पिता बाहर गए थे, आधी रात में नरेन्द्र ने रानी को जबरन अपने कमरे में ले जाकर उसके साथ बुरा काम किया और किसी को बताने पर उसके माता-पिता को जान से मार देने की धमकी थी। धमकी के डर से रानी चुप रही तो नरेन्द्र को लगा कि रानी भी राजी है इसलिए उस रोज के बाद वह अक्सर रात में रानी के कमरे में दाखिल होकर उसके साथ बुरा काम करने लगा। इससे धीरे-धीरे रानी को अपने चाचा से नफरत होने लगी थी। घटना से पहले 25 मई की रात नरेन्द्र ने एक बार फिर रानी को अपनी हवस का शिकार बनाया। जिससे रानी ने सोच लिया कि अब वह चुप नहीं रहेगी इसलिए कुछ दिनों की कश्मकस के बाद आखिर एक रोज उसने अपनी मां को चाचा की करतूत के बारे में बता दिया।

मां से बात पिता तक पहुंचकर पुलिस तक पहुंच गई जिससे पांच घंटे में पुलिस ने इस कलंकी चाचा को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया।

कथा पुलिस सूत्रों पर अधारित

एक और चाचा को मिल चुकी है उम्रकैद

पुलिस गिरफ्त में आरोपी

तीन साल पहले जनवरी 23 में जिले में दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। आरोपी ने 1 साल पूर्व रिश्तों को तार-तार करते हुए अपनी ही 6 साल की मासूम भतीजी को हवस का शिकार बनाया था। आरोपी यहीं नहीं रुका। उसने बेरहमी से गला दबाकर बच्ची की हत्या कर दी थी। एक दिन तक उसके शव को गेहूं रखने के लिए बनाई जाने वाली जगह में छिपाकर रखा था। इस मामले में सुनवाई करते हुए विशेष (पॉक्सो) न्यायालय दिपाली शर्मा ने आरोपी उत्तम आदिवासी को आजीवन कारावास के साथ ही 4 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था। घटना 14 जनवरी 2022 की है। तेंदुआ थाना क्षेत्र के ग्राम इमलिया में छह साल की मासूम को उसका 35 वर्षीय चाचा उत्तम आदिवासी टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ लेकर गया था। जिसके बाद उसने मासूम से रेप किया और घटना का किसी को पता न लगे। इसलिए बच्ची की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस बच्ची के लापता होने की शिकायत पर उसकी तलाश में जुटी थी। शक के आधार पर पुलिस जब चाचा के घर पहुंची और उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो कलयुगी चाचा की करतूत का खुलासा हुआ था।

सत्यकथा

आठ सौ किलोमीटर दूर से मिलने आए प्रेमी की हत्या करने के बाद उसका शव 200 किलोमीटर दूर नागिन मोड़ के सुनसान जंगल में ठिकाने लगाकर प्रेमिका मीना और उसके बचपन के प्रेमी अरूण को भरोसा था कि पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन लाश के पास पड़ी मिली मीना के बेटे की होमवर्क कॉपी पर बने टीचर के हस्ताक्षर ने पुलिस को आरोपियों तक पहुंचा दिया।

बाड़ी (रायसेन) : बेटे की होमवर्क कॉपी पर टीचर के साइन ने खोला अंधे कत्ल का राज

आठ मई की गर्म दोपहर की बात है। रायसेन जिले के बाड़ी थाना की सीमा से लगे जंगल की सुरक्षा में तैनात फॉरेस्ट गार्ड को ड्यूटी के दौरान नागिन मोड़ इलाके से गुजरने पर तेज बदबू का अहसास हुआ। पिछले दो चार दिन से वह जब भी इस इलाके से गुजरता था उसने बदबू महसूस की थी। लेकिन उस रोज बदबू अहसनीय थी। इसलिए जब उसने सिरवारा ब्रिज पर खड़े होकर चारों तरफ देखा तो पुल के नीचे उसके किसी इंसान की सड़ी गली लाश पड़े होने की शंका हुई। पास जाकर देखने पर उसकी शंका सच साबित होने पर उसने तुरंत इस बात की जानकारी बाड़ी टीआई को दे दी इससे थोड़ी ही देर में टीआई बाड़ी दलबल लेकर मौके पर पहुंच गए। जिस किसी ने बाड़ी-बरेली होकर सड़क मार्ग से भोपाल-जबलपुर के बीच यात्रा की है वे सभी नागिन मोड़ से परिचित है। घने जंगल में पहाड़ों के बीच पसरी कई तीखे घुमाव वाली सड़क किसी नागिन की तरह दिखाई देती थी। इस मोड़ पर अक्सर बड़ी दुर्घटनाएं भी होती रही है इसलिए जब सड़क मार्ग का विकास हुआ तब सरकार ने इस मोड़ को खत्म करने के लिए सिरवारा ब्रिज का निर्माण करवा दिया ताकि इस मोड़ के बजाए वाहन सीधे पुल से गुजर सकें। इसी सिरवारा ब्रिज के नीचे जब पुलिस बल पहुंचा तो उसका सामना लगभग तीस वर्षीय युवक की बुरी तरह से सड़ी गली लाश से हुआ।

शेष पृष्ठ 4 पर...

डॉ. देवेन्द्र साहू

इंदौर

नाबालिग बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर माता-पिता को उतारा था मौत के घाट, प्रेमी को मिली दोहरी उम्रकैद

इश्क, कत्ल और सजा

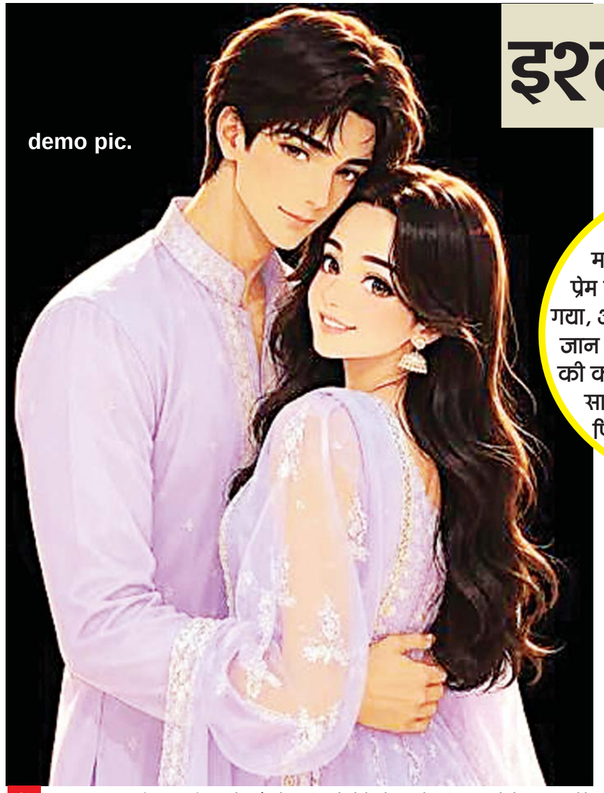

> यह हत्याकांड एक कहानी मात्र नहीं है। यह उस विकृत प्रेम की कहानी है जो जुनून बन गया, और उस जुनून ने दो बुज़ुर्गों की जान ले ली। यह उस नाबालिग बेटी की कहानी है जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही माता-पिता को मौत के घाट उतार दिया।

दिसंबर 2020 की एक ठंडी रात में इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के रुकमणि नगर में स्पेशल आर्म्स फोर्स में ड्राइवर के पद पर तैनातज्योति प्रसाद शर्मा और उनकी पत्नी नीलम शर्मा अपने घर में गहरी नींद में थे। घर में उनकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी भी थी, जो 11वीं कक्षा में पढ़ती थी। परिवार में एक बेटा भी था, जो उस रात पास में ही रहने वाले अपने दादा-दादी के घर सो रहा था। घर के बाहर एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता बंधा हुआ था। लेकिन इस साधारण से लगने वाले परिवार के भीतर एक ऐसा तूफान पल रहा था, जिसके बारे में माता-पिता को शायद ही अंदाजा था। उनकी बेटी का एक युवक से प्रेम संबंध था। उसका 20 वर्षीय प्रेमी धनंजय यादव उर्फ डीजे उर्फ शुभांशु यादव गांधीनगर के पूर्व उपसरपंच का बेटा था। लेकिन बेटी का यह रिश्ता उसके माता-पिता को मंजूर नहीं था।

परिवार का विरोध, पिता का गुस्सा, और प्रेमी-प्रेमिका का एक साथ रहने का जुनून इन सब ने मिलकर एक खौफनाक साजिश को जन्म दिया। धनंजय और किशोरी की मुलाकात मोहल्ले में ही हुई थी। धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन जब इस बात की भनक परिवार को लगी, तो माता-पिता ने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया। वे अपनी नाबालिग बेटी के इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे।

ज्योति प्रसाद शर्मा ने बेटी को धनंजय से मिलने से रोका। लेकिन प्रेमी जोड़ा चुपके-चुपके मिलता रहा।

मामला तब और बिगड़ा जब घटना से दो दिन पहले पिता ने दोनों को साथ देख लिया। गुस्से में आकर उन्होंने बेटी और धनंजय दोनों को चांटे मारे। अपने प्रेमी के इस अपमान से बेटी के मन में आग लगा दी। उसका सोचना था कि अगर माता-पिता ही नहीं रहेंगे तो कोई रोकने वाला नहीं होगा। यहीं से हत्या की साजिश रची गई।

राजेन्द्र भदौरिया डिप्टी डायरेक्टर

धनंजय और बेटी ने हत्या की योजना कम से कम तीन दिन पहले बनानी शुरू कर दी थी। उन्होंने सोचा कि अगर वे बिना किसी को मारे भाग जाएंगे, तो पुलिसकर्मी पिता उन्हें ढूंढ निकालेगा। इसलिए माता-पिता को रास्ते से हटाना ही एकमात्र रास्ता था। शुरुआत में उन्होंने माता-पिता को बेहोश करने के लिए नींद की गोलियां खरीदने की कोशिश की, लेकिन बिना पर्ची के गोलियां नहीं मिलीं। फिर उन्होंने सीधे हत्या का फैसला कर लिया। योजना के तहत, बेटी ने अपने भाई को दादा-दादी के घर भेज दिया, जो बगल के घर में रहते थे। अब घर में सिर्फ माता-पिता और बेटी थे, यही वह मौका था जिसका इंतजार वे कर रहे थे।

17 दिसंबर 2020 की रात करीब 2 बजे से सुबह 7 बजे के बीच हत्या की योजना को अंजाम देना था। धनंजय रात में प्रेमिका के घर पहुंचा। प्रेमी का आया देख किशोरी ने रात करीब 4 बजे घर का दरवाजा खोला। उसने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे भी बंद कर दिए। इसके बाद वह अपने जर्मन शेफर्ड कुत्ते को सुबह 4:30 बजे घुमाने के बहाने बाहर ले गई, ताकि कुत्ता भौंककर किसी को न जगा दे। घर के अंदर, धनंजय ने धारदार से गहरी नींद में सो रहे दंपती पर हमला कर दिया। उसने दोनों पर कई वार किए। हत्या इतनी बेरहमी से की गई कि पूरा कमरा खून से लथपथ हो गया। हत्या के बाद, प्रेमी जोड़े ने शवों को अलग-अलग चादरों में लपेटा। उन्होंने घर को बाहर से ताला लगा दिया। फिर दोनों ने घर से करीब 1 लाख 19 हजार रुपये निकाले और धनंजय की मोटरसाइकिल पर सवार होकर राजस्थान भाग निकले।

हत्या के बाद, आरोपियों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए एक चाल चली। उन्होंने घर पर बेटी के नाम से एक हाथ से लिखा नोट छोड़ा। नोट में लिखा था- मैंने ही अपने माता-पिता की हत्या की है, मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना।

इस नोट का उद्देश्य जांच को गलत दिशा में ले जाना था। आरोपी चाहते थे कि पुलिस यह माने कि बेटी ने अकेले ही यह काम किया है और वह आत्महत्या या फरार हो गई है। बेटी ने नोट में यह भी लिखा कि पिता उसके साथ दुष्कर्म करते थे और मां उनकी मदद करती थी।

लेकिन आरोपियों की यह चाल काम नहीं आई। सुबह करीब 8 बजे, दादा-दादी के घर सो रहा बेटा घर लौटा। घर के बाहर ताला लगा देख उसे हैरानी हुई। उसने खिड़की से अंदर झांका तो देखा कि उसके माता-पिता खून से लथपथ पड़े हैं। उसकी बहन घर से गायब थी। बेटे ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। घर से बेटी के नाम का नोट मिला, लेकिन पुलिस ने इसे तुरंत गंभीरता से लिया। पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। शहरभर के करीब 200 कैमरों की फुटेज देखी गई। घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज में एक संदिग्ध युवक घर में आते-जाते दिखाई दिया। परिजनों ने उसकी पहचान धनंजय के रूप में की।

इसके अलावा, पुलिस ने पाया कि घर के सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए थे यह साफ संकेत था कि हत्या में किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ था जो घर के अंदर की बात जानता था। पुलिस ने आरोपियों के मोबाइल फोन की सर्विलांस भी शुरू की। हालांकि दोनों के फोन बंद थे, लेकिन जब धनंजय ने अपना फोन कुछ सेकंड के लिए ऑन किया, तो उसका सिग्नल सर्विलांस नेटवर्क पर पिंग हुआ और तुरंत ट्रेस कर लिया गया। शेष पृष्ठ 7 पर...

छोटी सी च्युइंग गम बनी बड़ा सबूत

इस केस ने वैज्ञानिक जांच की ताकत को एक बार फिर स्थापित कर दिया है। एक छोटी सी च्युइंग गम, जिसे कोई साधारण कचरा समझकर फेंक सकता था, वही इस पूरे केस का सबसे मजबूत सबूत बन गई। डीएनए तकनीक ने साबित कर दिया कि आधुनिक जांच में वैज्ञानिक साक्ष्य कितने अहम हो सकते हैं। मामले में पुलिस के पास कोई चशमदीद नहीं था लेकिन घर के दरवाजे पर चिपकी मिली छोटी सी च्युइंग गम के डीएनए टेस्ट ने घटना के समय आरोपी की मौजूदगी घटनास्थल पर साबित कर दी थी।

पिता ने प्रेमी को मारे दो थप्पड़ तो बेटी ने पिता को ही ...

धनंजय और किशोरी की मुलाकात मोहल्ले में ही हुई थी। धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन जब इस बात की भनक परिवार को लगी, तो माता-पिता ने इस रिश्ते का कड़ा विरोध किया। वे अपनी नाबालिग बेटी के इस रिश्ते के सख्त खिलाफ थे। मामला तब और बिगड़ा जब घटना से दो दिन पहले पिता ने दोनों को साथ देख लिया। गुस्से में आकर उन्होंने बेटी और धनंजय दोनों को चांटे मारे। प्रेमी के इस अपमान ने बेटी के मन में आग लगा दी। उसने पिता को देख लेने की धमकी दी जिसे चंद रोज बाद सच भी कर दिखाया।

...पृष्ठ 2 का शेष

फोन की लोकेशन मंदसौर-नीमच हाईवे पर मिली जो राजस्थान जाने का रास्ता था। पुलिस ने तुरंत मंदसौर और नीमच जिलों की पुलिस को अलर्ट कर दिया।17 दिसंबर 2020 की देर रात, हाईवे पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने धनंजय और उसकी प्रेमिका को मंदसौर-नीमच हाईवे के पास से गिरफ्तार कर लिया। वे मोटरसाइकिल पर राजस्थान भाग रहे थे। पुलिस ने उनके पास से हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार और घर से चुराए गए करीब 1 लाख रुपये भी मिले। पूछताछ में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक, बिना किसी सख्ती के वे लगातार अपनी प्लानिंग एक-एक कर बताते रहे। हैरानी की बात यह थी कि दोनों को अपने किए पर कोई मलाल नहीं था। बेटी ने पुलिस को बताया कि वह धनंजय से बहुत प्यार करती है। उसने यह भी बताया कि दो दिन पहले पिता ने उन दोनों को साथ देखा था और धनंजय की पिटाई कर दी थी। उसे भी पिता का गुस्सा झेलना पड़ा, यही वह घटना थी जिसने उनके मन में हत्या का विचार पैदा किया। हालांकि आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था, लेकिन अदालत में सिर्फ स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषी नहीं ठहराया जा सकता था। अभियोजन को ठोस वैज्ञानिक और भौतिक साक्ष्य की जरूरत थी खासकर जब इस मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था। पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। उन्हें घर के दरवाजे पर एक च्युइंग गम चिपकी हुई मिली। पुलिस ने इस च्युइंग गम को सुरक्षित रखा और डीएनए जांच के लिए भेजा। डीएनए रिपोर्ट ने साबित कर दिया कि च्युइंग गम से निकाला गया डीएनए सैंपल धनंजय के डीएनए से मेल खाता है। इस वैज्ञानिक साक्ष्य ने साफ तौर पर स्थापित कर दिया कि आरोपी डबल मर्डर के समय घटनास्थल पर मौजूद था। यह च्युइंग गम ही वह एविडेंस बन गया जिसने बिना किसी चश्मदीद गवाह के केस को मजबूत किया। अभियोजन ने सुनवाई के दौरान 25 गवाहों के बयान कराए। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक आरती भदौरिया ने की। करीब छह साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, 6 अगस्त 2026 को इंदौर की जिला अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। 28वें अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हेमंत कुमार रघुवंशी की अदालत ने इस चिन्हित प्रकरण में धनंजय उर्फ डीजे उर्फ शुभांशु यादव को दोषी करार दिया। अदालत ने अभियोजन के तर्कों और वैज्ञानिक एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों से सहमत होते हुए आरोपी को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई। धारा 302 (हत्या) के दो मामलों में दोहरे आजीवन कारावास, धारा 460 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास, धारा 397 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास, आयुध अधिनियम की धारा 25(1-बी)(बी) सहपठित धारा 4 के तहत 1 वर्ष का सश्रम कारावास के अलावा कोर्ट ने आरोपी पर कुल 33,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया। कोर्ट ने अर्थदंड से प्राप्त राशि में से 20,000 रुपये मृतक दंपती के बेटे को मानसिक क्षति के प्रतिकर के रूप में देने का आदेश दिया।

कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित

...पृष्ठ 6 का शेष

यह बार भी उसे शीला ने ही बुलाया था। शीला ने उसे अपना रिश्तेदार बताकर घर में ठहराया, जैसा कि पहले कई बार कर चुकी थी। शाम का वक्त था, परिवार के सभी सदस्य घर में मौजूद थे। योगेंद्र सोरी दिनभर की थकान के बाद घर लौटा था। उसकी दोनों बेटियां भी घर में थीं और शीला रात का खाना बना रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। रात में सभी ने साथ बैठकर खाना खाया। योगेंद्र को कोई शक नहीं था उसके सामने शंकर पत्नी का रिश्तेदार था, एक मेहमान। खाने के बाद सभी सोने की तैयारी करने लगे। घर में एक ही हॉल था, जहां सभी को सोना था। योगेंद्र सोरी, उसकी पत्नी शीला, दोनों बेटियां और शंकर सभी एक ही कमरे में सोने के लिए लेट गए। योगेंद्र की बेटियां अपनी मां के पास सोईं और शंकर कुछ दूरी पर सो गया। योगेंद्र को लगा कि सब ठीक है, परिवार के साथ एक रिश्तेदार भी है जो आज यहां रुकेगा। रात करीब 3 बजे थे। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ था। योगेंद्र सोरी की नींद अचानक टूटी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसने वो देखा जो किसी पति के लिए सबसे बुरा सपना हो सकता है। पत्नी शीला और शंकर पूरी तरह निर्वस्त्र आपत्तिजनक हालत में थे। यह देखकर योगेंद्र का दिमाग खाली हो गया। गुस्सा, अपमान, विश्वासघात, हताशा सब कुछ एक साथ उस पर टूट पड़ा। उसने सोचा नहीं, उसके दिमाग में एक ही ख्याल आया इस अपमान का बदला लेना है, इस धोखे का जवाब देना है। योगेंद्र ने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और शंकर पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। उसका निशाना था शंकर का गला। एक के बाद एक वार कुल्हाड़ी से गला काटना। शंकर कुछ समझ पाता, इससे पहले ही कई वार उसके गले पर हो चुके थे। यह देखकर शीला चीख पड़ी उसने अपने प्रेमी को खून से लथपथ देखा। शीला ने तुरंत 108 एम्बुलेंस को कॉल किया। उसे पता था कि शंकर की स्थिति गंभीर है और वह किसी भी समय मर सकता है। एम्बुलेंस आने में कुछ देर लगी, तब तक शीला ने शंकर के घावों को कपड़े से बांधने की कोशिश की, लेकिन खून का बहाव इतना ज्यादा था कि उसे रोकना मुश्किल हो रहा था। एम्बुलेंस आई और शीला खुद शंकर के साथ जिला अस्पताल गई। वह चाहती थी कि शंकर को बचाया जाए। शायद उसे लगा कि अगर शंकर बच गया, तो कहीं न कहीं सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पहुंचने के कुछ ही देर बाद दम तोड़ दिया था। घटना की सूचना मिलते ही केरेगांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने योगेंद्र सोरी को हिरासत में लेकर कुल्हाड़ी को जब्त कर लिया। सुबह आरोपी को अदालत में पेश किया जहां से उसको जेल भेज दिया गया।

कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित

...पृष्ठ 5 का शेष

मीना पति को छोड़कर आई तो अरूण से अपना वादा पूरा किया। उसने मीना को साईखेड़ा में पचास लाख का मकान दिलवाने के अलावा उसके नाम बैंक में 1 करोड़ की एफडी कर दी। साथ ही 500 ग्राम सोने के जेवर, बीस लाख की कार और लाखों रुपए कीमत का आईफोन भी खरीद कर देने के अलावा उसके बेटे का नाम भी अच्छे स्कूल में दर्ज करवा दिया। चूंकि अरूण की पत्नी या किसी और को इन दोनों के असली रिश्ते के बारे में भनक नहीं थी इसलिए पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया लेकिन जब अरूण को करोड़ों रुपए की दौलत मीना पर लुटाते और अक्सर रात में उसके घर रुकते देखा तो उनके संबंधो के बारे में चर्चा होने लगी लेकिन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वे अपने बचपन का प्यार खुलकर जीने लगे। दूसरी तरफ बिना कुछ किए अचानक ही किस्मत मीना पर मेहरबान हुई तो उसका दिमाग सातवें आसमान पर जा चढ़ा। खूबसूरत लड़की के हाथ में लाख डेढ़ लाख का मोबाइल हो तो सोशल मीडिया पर छाने के लिए रील बनाने का शौक खुद व खुद जाग जाता है। यही मीना के साथ हुआ क्योंकि उसके पास समय की भी कमी नहीं थी। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर शौकीन किस्म के युवकों की भी नजरें गढ़ी रहती है जो ऐसी लड़कियों को निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं। इसलिए मीना ने रील बनाना शुरू किया तो उसके दीवाने फालोवर की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। इन्हीं में एक था भीलवाड़ा राजस्थान का रहने वाला वीरू जाट उर्फ पप्पू। पप्पू उसकी हर फोटो और रील पर लाइक कामेंट करता था। यह देखकर मीना उससे प्रभावित हुई जिसके बाद दोनों की फोन पर बात होने लगी। पप्पू ने मीना को मीठी बातों की चाशनी में ऐसा लपेटा कि वह खुद के ऊपर करोड़ों लुटाने वाले आशिक अरूण की आंखों में धूल झौंककर पप्पू के साथ प्यार के तराने गाने लगी। संयोग से पप्पू का राजस्थान में रेत का कारोबार था जिसके चलते उसका नरसिंहपुर आना-जाना भी होता रहता था। इसलिए कुछ समय के बाद वह जब भी नरसिंहपुर आता मीना, अरूण से छुपकर उसे अपने घर खास मुलाकातों के लिए बुलाने लगी। अरूण अभी भी मीना के प्यार में पागल था और उसके लिए सब कुछ कर गुजरने पर आमादा भी था। पर मीना का प्यार अब बंट चुका था। प्यार के बंटने से उसमें बदलाव आना भी लाजिमी है इसलिए जब अरूण को यह बात समझ में आई तो नजर रखने पर उसे मीना की जिंदगी में नए आशिक के आमद की जानकारी हो गई। इस बात का उसने विरोध किया और मीना को जता दिया कि वह पप्पू और उसमें से किसी एक को चुन ले। अरूण मीना के बचपन का प्यार था। प्यार और शारीरिक सुख सभी के पहले अनुभव उसे अरूण मिले थे। इसके अलावा वह यह भी जानती थी आज उसके पास लगभग दो करोड़ की जो दौलत है वह सब अरूण के कारण ही है इसलिए उसने पप्पू की ओर से अपने कदम वापस लेना शुरू कर दिया। लेकिन पप्पू भी मीना जैसी सुंदर प्रेमिका को यूं हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। इसलिए वह बिना योजना के ही बिना बुलाए मीना से मिलने आने लगा। ऐसे में एक बार मीना के घर में उसका सामना अरूण से हो गया। दोनों के बीच झगड़ा हुआ जिसमें पप्पू ने भी अरूण के साथ मारपीट कर दी। अपने बचपन के प्रेमी और जवानी के सबसे बड़े मददगार पर पप्पू के हाथ उठाने से मीना भी उससे नाराज थी। इस नाराजी का फायदा उठाकर अरूण ने मीना को इस बात के लिए राजी कर लिया कि पप्पू ऐसे पीछा नहीं छोड़ने वाला इसलिए उसको रास्ते से हटा दिया जाए। मीना राजी हो गई तो अरूण से अपने दोस्त हरनाम सिंह किरार को मदद करने राजी कर लिया। जिसके बाद योजना बनाकर मीना से 26 अप्रैल के दिन वीरू को खास मुलाकात का लालच देकर मिलने के लिए आने को कहा। ऐसी खूबसूरत माशूका प्रणय हेतु पुकारे और आशिक न आए, ऐसा कैसे हो सकता है, इसलिए मीना के बुलावे पर पप्पू 26 अप्रैल की रात मीना के घर पहुंचा जहां पहले से छुपकर बैठे अरूण और हरनाम किरार ने मीना के साथ मिलकर उस पर हमला कर हत्या कर दी। जिसके बाद रात में तीनों ने उसका शव ले जाकर 200 किलोमीटर दूर नागिन मोड़ पर फेंक दिया। तीनों को भरोसा था कि जंगली जानवर पप्पू के शव को खा-पीकर बराबर कर देंगे और पुलिस उन तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। मगर आरोपियों की किस्मत में कुछ और लिखा था। आठ दिन बाद बाड़ी पुलिस ने पप्पू का सड़ा गला शव बरामद किया और कुछ ही दिनों मामले का खुलासा करते हुए मीना, अरूण और हरनाम किरार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित

...पृष्ठ 3 का शेष

अचानक, असगर ने रसोई से एक बड़ा चाकू उठाया। क्या हुआ उसके दिमाग में, कोई नहीं जानता। अचानक उसने रुकैया पर हमला बोल दिया। पहली चीख जब रुकैया के मुंह से निकली, तो पूरा मोहल्ला सहम गया। पड़ोसी बताते हैं कि चीखें इतनी भयानक थीं कि उन्हें लगा कि कोई जानवर किसी को नोच रहा है। मगर जब उन्होंने पहचाना कि यह इंसानी चीख है, तो वे और कुछ अन्य पड़ोसी घर की तरफ दौड़े। घर की पहली मंजिल पर रुकैया और असगर का कमरा था। दूसरी मंजिल पर परिवार के अन्य सदस्य रहते थे। 7 साल की बेटी, जो उस समय कमरे के दूसरे कोने में थी, ने अपनी मां को खून से लथपथ देखा। डर के मारे वह चीखी नहीं, बल्कि सीढ़ियां उतरकर नीचे आ गई और सीधे दादा की दुकान की तरफ भागी। उसके दादा की हार्डवेयर की दुकान उसी मकान के नीचे थी। पोती ने जाकर दादा को बताया, दादा, पापा मम्मी को मार रहे हैं! दादा ने पहले तो कानों पर यकीन नहीं किया। लेकिन बच्ची का चेहरा देखकर वे समझ गए कि बात सही है। वे तुरंत ऊपर दौड़े। जब दादा कमरे में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा असगर अपनी बहू रुकैया के सीने पर बैठा हुआ था और उसके गले पर चाकू से वार कर रहा था। रुकैया पूरी तरह लहूलुहान थी। खून बिस्तर पर, फर्श पर, दीवारों पर हर जगह फैल चुका था। दादा ने चिल्लाकर असगर को रोकने की कोशिश की, लेकिन असगर ने पिता की ओर भी खूंखार नजरों से देखा और चिल्लाया। पिता डरकर पीछे हट गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। इस बीच, पड़ोसी भी कमरे के दरवाजे पर जमा हो गए, लेकिन असगर के हाथ में खून से लथपथ चाकू देखकर कोई अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। वे बस दरवाजे पर खड़े होकर चीखते-चिल्लाते रहे, और असगर अपनी मृत पत्नी के ऊपर बैठा रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, असगर ने रुकैया पर 30 से 35 बार चाकू से हमला किया। अधिकतर वार गर्दन और सीने पर थे। गले का बायां हिस्सा पूरी तरह कट गया था जिससे रुकैया की मौके पर ही मौत हो गई। असगर ने 35 बार हमला किया। इसका मतलब साफ है वह पागलपन की हालत में था। उस दौरान उसे न तो दर्द का अहसास था, न दया का, न ही यह समझ थी कि वह किसे मार रहा है। लोगों ने बताया कि जब उन्होंने दरवाजे से झांका, तो रुकैया का शरीर पूरी तरह खून में डूबा हुआ था। बिस्तर की चादरें लाल हो चुकी थीं। असगर का हाथ भी खून से सना हुआ था, और वह चाकू को कसकर पकड़े हुए था- मानो वह अभी भी हमला करना चाहता हो। सूचना मिलते ही माणक चौक थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। जब पुलिस ने कमरे में प्रवेश किया, तो दृश्य स्तब्ध करने वाला था एक पति, अपनी पत्नी के शव के पास बैठा हुआ बिल्कुल शांत था। न वह रो रहा था, न ही वह बोल रहा था। बस शव को घूर रहा था। पुलिस ने जैसे ही उसे गिरफ्तार करने के लिए हाथ बढ़ाया, उसने बिना किसी प्रतिरोध के आत्मसमर्पण कर दिया। उसने कोई हंगामा नहीं किया, कोई धमकी नहीं दी। बस एक हाथ में चाकू था और दूसरा हाथ पत्नी के गले पर था जैसे वह मरने के बाद भी उसे छूना चाहता हो। पुलिस ने सबूतों को सुरक्षित किया। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से खून के नमूने, हथियार, और अन्य सबूत जुटाए। कमरे को सील कर दिया गया। रुकैया के शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। लेकिन असगर को थाने ले जाने के बाद जो हुआ, वह और भी हैरान करने वाला था। पुलिस थाने में असगर से पूछताछ कर रही थी। उससे पूछा गया तुमने अपनी पत्नी को क्यों मारा? लेकिन असगर का जवाब किसी को समझ नहीं आया। वह बार-बार कह रहा था, मुझे रुकैया से मिला दो। पुलिस ने उसे बताने की कोशिश की, रुकैया अब नहीं रही। लेकिन वह बस सिर हिलाता रहा और अपनी बात दोहराता रहा, नहीं, नहीं, रुकैया जिंदा है। मुझे उससे मिलना है। जब पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की, तो एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई। असगर पिछले छह महीने से मानसिक रूप से डिस्टर्ब था। उसका इलाज चल रहा था, लेकिन सुधार नहीं हो रहा था। पड़ोसियों ने बताया कि कुछ महीने पहले परिजनों ने उसे जंजीरों से बांधकर धर्मगुरु सैयदना साहब के पास इलाज के लिए ले गए थे। यह परंपरागत इलाज का हिस्सा था, लेकिन बीमारी वहां भी ठीक नहीं हुई। ऐसा लगता है कि असगर को गंभीर मानसिक विकार था। रुकैया का मायका रतलाम के लक्कड़पीठा इलाके में था। उसके भाई का नाम मोहम्मद खाचरौदवाला है, जिन्होंने हत्या की एफआईआर दर्ज कराई। पड़ोसी रुकैया को एक धैर्यवान, मेहनती औरत्यागमयी महिला के रूप में याद करते हैं। घर का सारा काम वह अकेले करती थी। अपने दोनों बच्चों की देखभाल के साथ, वह अपने विक्षिप्त जेठ मुस्तफा की भी सेवा करती थी। मुस्तफा को नहलाना, खाना खिलाना, दवा देना यह सब रुकैया का रोज का काम था। इतनी जिम्मेदारी के बावजूद, उसे कभी किसी से कोई शिकायत नहीं सुनी गई। वह बच्चों को पढ़ाती थी, घर को संभालती थी, और अपने पति की मानसिक बीमारी में भी उसे सहारा देती थी। लेकिन यही त्याग और समर्पण उसकी मौत का कारण नहीं बना, बल्कि उसके पति की बीमारी ने उसे मार डाला। रुकैया को कभी शक नहीं हुआ कि उसका पति, जिसके लिए वह इतना कुछ कर रही थी, एक दिन उसी के हाथों मरेगी।

कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित

धमतरी (छत्तीसगढ़) | फर्जी रिश्तेदार बताकर प्रेमी जोड़ा झोंक रहा था अपने-अपने परिवार की आंखों में धूल

दो शातिर दीवाने

demo pic.

अस्पताल में मृतक का शव

"मिस काल के जरिए प्यार के बंधन में बंधे शादीशुदा शीला और शंकर ने चालाकी दिखाते हुए अपने-अपने परिवार में एक दूसरे का परिचय रिश्तेदार के रूप में दिया था। इसका फायदा उठाकर शंकर, शीला के घर में आकर और शीला शंकर के घर में जाकर मेहमानी करने के बहाने वासना का खेल रचाती थी। लेकिन एक रात जब घर आए इस मेहमान को शीला के पति से शंकर और शीला को रंगे हाथ रास रचाते पकड़ लिया तो ...

एक का पति प्रेमी को और दूसरे की पत्नी प्रेमिका को समझाती थी रिश्तेदार

शीला और शंकर का प्यार एक मिस कॉल से शुरू हुआ था। इसके बाद शंकर अक्सर मंदसौर से 300 किलोमीटर दूर अपनी प्रेमिका से मिलने आने लगा था। चूंकि दोनों को बाहर मिलने में परेशानी होती थी इसलिए शीला ने योजना बनाकर एक रोज उसे सीधे अपने घर आने को कहा और जब शंकर आया तो उसने शंकर का परिचय अपने पति से रिश्तेदार के तौर पर करवाया। पति से शीला की बात पर भरोसा कर लिया। जिसके बाद शंकर मेहमान बनकर शीला से मिलने आने लगा था। इसी तरह जब शीला मंदसौर गई तो शंकर ने अपनी पत्नी से उसका परिचय रिश्तेदार के तौर पर करवा दिया जिससे दोनों समय पर एक दूसरे के घर मेहमान बनकर आने-जाने लगे थे।

जांच करती पुलिस

देखते ही कर दी हत्या

घटना की रात शंकर ने मेहमान बनकर आए शंकर को रात में अपनी पत्नी के संग वासना का खेल रचाते देख लिया था। जिसके बाद शंकर ने तुरंत ही कुल्हाड़ी उठाकर शंकर की गर्दन पर वार कर दिया। दूसरी तरफ रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद भी शीला ने अपने प्रेमी की जान बचाने की कोशिश की वह उसे अस्पताल ले गई लेकिन शंकर ने थोड़ी देर बाद दम तोड़ दिया।

कुरींडीह गांव धमतरी जिले का एक साधारण सा गांव है। यहां की आबादी कृषि या छोटे व्यवसाय से जुड़ी है। गांव में बिजली-पानी की सुविधा तो है, लेकिन विकास की रफ्तार शहरों की तुलना में काफी धीमी है। यहां के लोग एक-दूसरे को जानते हैं, रिश्ते-नाते गहरे हैं और गांव की हर खबर कुछ ही देर में सभी को पता चल जाती है।

आरोपी पति

38 साल का योगेंद्र सोरी इसी गांव का एक जाना-पहचाना चेहरा था। वह साइकिल स्टैंड का व्यापार करता था। योगेंद्र की शादी शीला सोरी से हुई थी और उनकी दो बेटियां थीं। परिवार में चार लोग थे योगेंद्र, उसकी पत्नी शीला (बदला नाम), और उनकी दो बेटियां। वे गांव में अपने ही घर में रहते थे।

बाहरी तौर पर योगेंद्र का परिवार एक साधारण और खुशहाल परिवार लगता था। योगेंद्र दिनभर साइकिल स्टैंड पर काम करता, शाम को घर लौटता और परिवार के साथ समय बिताता। शीला गृहिणी थी और बच्चियों की देखभाल करती थी। लेकिन इस साधारण से चेहरे के पीछे एक ऐसा राज छिपा था, जिसके बारे में योगेंद्र को कोई अंदाजा नहीं था।

हर कहानी की एक शुरुआत होती है, और इस कहानी की शुरुआत हुई एक रांग नंबर से। करीब एक साल पहले, शीला सोरी के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। यह कॉल थी मध्यप्रदेश के मंदसौर जिले के दलौदा तहसील के रहने वाले 40 वर्षीय शंकर सूर्यवंशी की।

40 वर्षीय शंकर सूर्यवंशी की भी अपनी जिंदगी थी, लेकिन इस रांग नंबर ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल कर रख दी। गलती से शीला के नंबर पर कॉल हो गई, और इसी गलती ने दो अनजान लोगों को एक-दूसरे से जोड़ दिया। पहले तो बातचीत आम थी, माफ कीजिए, नंबर गलत हो गया, कोई बात नहीं, आप कहां से हैं? धीरे-धीरे ये बातचीत बढ़ती गई। दोनों ने एक-दूसरे के बारे में जाना, अपनी जिंदगी की बातें साझा कीं। शायद दोनों अपनी जिंदगी में किसी नएपन की तलाश में थे, या फिर ये महज इत्तिफाक था कि दो अनजान लोगों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया।

धीरे-धीरे ये बातचीत दोस्ती में बदली और फिर दोस्ती प्रेम में। दोनों के बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गए। यह कोई आम प्रेम कहानी नहीं थी, क्योंकि शीला एक विवाहित महिला थी और उसके दो बच्चे भी थे। लेकिन प्यार में इंसान कुछ भी कर गुजरता है। प्रेम संबंध बनने के बाद शंकर और शीला के बीच मिलने की इच्छा बढ़ने लगी। मंदसौर और धमतरी के बीच की दूरी करीब 300 किलोमीटर से अधिक थी, लेकिन प्यार के आगे ये दूरी मायने नहीं रखती थी। शंकर समय-समय पर शीला से मिलने कुर्रीडीह गांव आने लगा।

शीला ने अपने परिवार और गांव वालों को इस बात से अनजान रखा कि शंकर उसका बॉयफ्रेंड है। जब भी शंकर आता, वह उसे अपना रिश्तेदार बताकर घर में ठहराती। योगेंद्र को भी शंकर परिवार का कोई रिश्तेदार ही लगता था, क्योंकि पत्नी ने उसे ऐसे ही बताया था। धीरे-धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया। शंकर कई बार शीला से मिलने आया और हर बार उसे घर में ठहराया गया। गांव वालों को भी शक नहीं हुआ क्योंकि गांवों में रिश्तेदारों का आना-जाना आम बात है।

करीब 15 दिन पहले एक और बड़ा कदम उठाया गया। शीला अपनी दो बेटियों को लेकर शंकर के घर मंदसौर गई। वहां वह 4-5 दिन रुकी और फिर वापस कुर्रीडीह लौट आई। यह यात्रा उसके लिए बहुत जोखिम भरी थी, क्योंकि अगर किसी को पता चलता तो उसकी इज्जत पर बहुत बड़ा सवाल आ जाता। लेकिन प्यार में डूबा इंसान जोखिमों से परे हो जाता है। 8 जुलाई की शाम करीब 7 बजे शंकर सूर्यवंशी एक बार फिर शीला से मिलने कुर्रीडीह गांव पहुंच गया। शेष पृष्ठ 7 पर...

रतलाम | पत्नी की छाती पर बैठकर पति ने चाकू से किए 35 बार

"किचन में बैठी पत्नी जब पति की पसंद की सब्जी काट रही थी तब बाहर बैठा पति असगर उसकी गर्दन काटने की योजना बना रहा था। असगर अली के परिवार का कहना है कि असगर मानसिक रूप से बीमार है जिसके चलते उसने यह कदम उठाया लेकिन मृतका रूकैया के परिवार का कहना है कि मानसिक बीमारी कोई बहाना नहीं हो सकती। हत्या, हत्या है असगर को कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

बेगुनाह बेगम का कत्ल

demo pic.

आरोपी और मृतका पत्नी

रतलाम शहर का सुनारों की बावड़ी इलाका। 2 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 12 बजे यहां जो हुआ, उसने इस शांत मोहल्ले की रूह कंपा दी।

इलाके के एक दो मंजिला मकान के अंदर आई चीखों की आवाज इतनी भयानक थीं कि आसपास के पड़ोसियों के दिल तेजी से धड़कने लगे। माजरा क्या है यह जानने के लिए जब लोग अंदर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मकान में रहने वाला असगर अली अपनी पत्नी के सीने पर बैठकर उसके ऊपर चाकू से लगातार वार कर रहा था।

आरोपी पति

थोड़ी देर में 33 वर्षीय रुकैया को असगर अली ने अपने ही बच्चों की मौजूदगी में निर्ममता से मार डाला और फिर, जैसे कुछ हुआ ही न हो, आरोपी शव के पास बैठा रहा। न भागा, न डरा, बस वहां बैठा रहा।

असगर अली और रुकैया की शादी को करीब 10 साल हो चुके थे। असगर पेशे से मोबाइल कारोबारी था। करीब एक साल पहले उसने जिले के ग्रामीण इलाके में एक मोबाइल शॉप खोली थी, लेकिन व्यापार ठीक नहीं चला, तो उसने रतलाम में ही दुकान शुरू कर ली। घर में असगर के माता-पिता, उसका बड़ा भाई मुस्तफा , पत्नी रुकैया, 7 साल की बेटी और 2 साल का बेटा साथ रहते थे।

घर की जिम्मेदारियां रुकैया के कंधों पर थीं। वह न सिर्फ अपने दो बच्चों की देखभाल करती थी, बल्कि मानसिक रूप से विक्षिप्त मुस्तफा की भी सेवा करती थी। मुस्तफा बचपन से ही मानसिक रूप से असंतुलित था, और उसकी देखभाल करना रुकैया की दिनचर्या का हिस्सा था। लेकिन पिछले छह महीनों से असगर अली के व्यवहार में अजीब बदलाव आने लगे थे। वह मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। परिवार वालों ने उसे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन जब उसकी हालत ज्यादा बिगड़ी, तो परिजनों ने परंपरागत तरीका अपनाया और उसे जंजीरों से बांधकर धर्मगुरु सैयदना साहब के पास इलाज के लिए ले गए। लेकिन इस बीमारी ने उसे अंदर ही अंदर खोखला कर दिया था। हत्या वाले दिन सुबह घर में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। सुबह उठकर असगर ने चाय पी। चहल्लुम का मौका था, इसलिए उसकी मां ने उसे मस्जिद जाने को कहा। असगर और रुकैया के बीच कोई तकरार या लड़ाई-झगड़े की कोई खबर नहीं थी। रुकैया ने दोनों बच्चों को नहलाया। बेटी, जो 7 साल की है, स्कूल की पढ़ाई कर रही थी, जबकि 2 साल का बेटा अपनी मां के आंचल में खेल रहा था। असगर के माता-पिता घर से बाहर किसी काम से गए हुए थे। बड़ा भाई मुस्तफा अपने कमरे दुनिया से बेखबर, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ।

दोपहर करीब 12 बजे जब घर में खाना तैयार हो रहा था, और बच्चे दोपहर की झपकी की तैयारी में थे। लेकिन इसी सामान्य वातावरण में एक तूफान जन्म ले चुका था असगर के अंदर का वह तूफान जिसे कोई नहीं समझ पाया था। शेष पृष्ठ 7 पर...

जिसकी हत्या की उसी से मिलने की जिद

पत्नी की हत्या के आरोप में जब पुलिस असगर को लेकर थाने आई तो वह एक ही रट लगाए रहा कि उसे रुकैया से मिलवा दो। माणक चौक थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है, और पूछताछ की जा रही है। लेकिन आरोपी अभी भी उसी हालत में है वह पत्नी से मिलने की जिद कर रहा है।

सदमे में परिवार की महिलाएं

शरीर पर मिले 35 घाव

पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार, मौत गले पर लगे गहरे घाव से बड़े पैमाने पर खून बहने के कारण हुई। 30-35 चाकू के वार में से कई ने महत्वपूर्ण नसों को काट दिया था। पुलिस का मानना है कि हमले के समय असगर बेहद गुस्से में रहा होगा। क्योंकि आमतौर पर इतने बार करना किसी के लिए आसान नहीं होता।

मानसिक बीमारी का पेंच

मानसिक बीमारी को लेकर कानूनी पहलू भी महत्वपूर्ण है। असगर को मानसिक बीमारी है, और वह इस समय उसी बीमारी के दौर से गुजर रहा है। भारतीय दंड संहिता की धारा 84 कहती है कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक बीमारी के कारण अपने किए की गलतता को समझने में असमर्थ है, तो वह दंड का पात्र नहीं है। हालांकि, यह तय करना अदालत का काम होगा कि क्या असगर को हत्या के समय समझ थी कि वह क्या कर रहा है। अगर मानसिक बीमारी साबित होती है, तो उसे सजा नहीं, बल्कि मनोचिकित्सकीय इलाज के लिए भेजा जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ, रुकैया के परिवार का कहना है कि बीमारी कोई बहाना नहीं हो सकता हत्या, हत्या है। रुकैया के भाई ने साफ कहा है कि उसके पति ने उसकी बहन की बेरहमी से हत्या की उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

लाश के पास बैठा आरोपी

CMYB

पृष्ठ 1 का शेष

बाड़ी-बरेली के कुख्यात नागिन मोड़ की लाश का रहस्य

आरोपी प्रेमिका और मृतक

कुछ ही देर के बाद मौके पर एसडीओपी बाड़ी नीलम चौधरी के बाद आई फारेंसिक टीम का अनुमान था कि कीड़ा लग चुकी लाश कम कम आठ दिन पुरानी है। गठरी में बंधी लाश पुल के पास पड़ी थी जिससे जाहिर था कि शव को ब्रिज से नीचे फेंका गया है। यानी उसकी किसी अन्य जगह पर हत्या कर शव को यहां ठिकाने लगाने की कोशिश की थी। शव की पहचान नामुमकिन दिखाई देने के बावजूद पुलिस ने आसपास के लोगों को शव दिखाकर पहचान करवाने की कोशिश की जिसके असफल रहने पर शव पीएम के लिए भेजकर एक टीम ने मौके पर बारीकी से तलाशी ली जिससे शव से कुछ ही दूरी पर पड़ा एक बैग मिला जिसमें मृतक के जूते, कंघी जैसा सामान था जो हत्यारों ने शव के साथ ही ठिकाने लगाने की गरज से वहां फेंका था।

अज्ञात सड़ा-गला शव मिलने की जानकारी लगने पर एसपी रायसेन आशुतोष गुप्ता ने एक टीम मामले के खुलासे के लिए गठित कर दी थी। जिसने आसपास के थाना क्षेत्रों से लापता लोगों की जानकारी जुटाने की कवायद की लेकिन इसका कोई लाभ पुलिस को नहीं मिला।

लेकिन एसडीओपी नीलम चौधरी मन की मन इस मामले में चुनौती के रूप में स्वीकार कर चुकी थी। इसलिए लाश फेंके जाने के संभावित दिनों के आधार पर वह इस इलाके में आने जाने वाहनों की स्कैनिंग करते हुए लगभग रोज मृतक की लाश के पास पड़े मिले बैग के सामान को बारीकी से देख समझ रहीं थी।

एसडीओपी सुश्री चौधरी की इस कवायद का नतीजा यह हुआ कि एक रोज अचानक उनका ध्यान उस नोटबुक पर गया जो शव के पास पड़े बैग में मिली थी। नोटबुक किसी स्कूली छात्र के होमवर्क की थी। छात्र ने सुंदर लिखावट में अपना होमवर्क करने के बाद उसे अपने शिक्षक से चेक करवाया था जिनके दस्खत भी कापी के एक पन्ने पर थे। इस पर एसडीओपी नीलम चौधरी ने इलाके के ही नहीं बल्कि आसपास के जिलों के स्कूलों में हस्ताक्षर वाले नाम के टीचर की खोज शुरू कर दी।

यह खोज जल्द ही पूरी हो गई जब पुलिस को मालूम चला कि इस नाम का शिक्षक सीमावर्ती जिले नरसिंगपुर के साईखेड़ा कस्बे के एक स्कूल में तैनात है। पुलिस ने तुरंत उस टीचर से संपर्क कर छात्र की नोटबुक दिखाई। संयोग से टीचर ने नोटबुक की हैंडराइटिंग देखते ही नोटबुक को पहचान कर उस छात्र का नाम पता बता दिया।

> मौसी के घर में रहकर बड़ी हो रही अनाथ मीना को एक रोज मौसी द्वारा अपने बेटे अरूण के संग आपत्तिजनक स्थिति में देख लेने पर 16 की उम्र में ही मीना की शादी कर उसे घर से विदा कर दिया था। लेकिन 13 साल बाद मीना पति को छोड़कर अपने मौसेरे प्रेमी के पास वापस आ गई थी।

पुलिस के लिए आशा की किरण लगातार चमकदार होती जा रही थी। नोटबुक मीना (बदला नाम) नाम की एक महिला के बेटे की थी जो पति को छोड़कर साईखेड़ा में अपने बेटे के साथ साईखेड़ा में अकेली रहती थी। पुलिस टीम जब मीना के घर के पते पर पहुंची तो उसके मकान में ताला लगा देखकर उसे पूरा भरोसा हो गया कि उनकी जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है।

पास-पड़ोस में पूछताछ करने पर जानकारी मिली की मीना लगभग 10-12 दिन से बेटे के साथ लापता है। वह कहां गई इसकी जानकारी किसी को नहीं थी। लेकिन लोगों से पुलिस को यह जानकारी जरूर लग गई कि मीना साईखेड़ा में अपने मौसेरे भाई अरूण पटेल की छत्रछाया में बेहद लक्जरी स्टाइल में रह रही थी। लगभग पचास लाख कीमत का उसका मकान, बीस लाख की एक्सयूवी गाड़ी, किलो से सोना और लाखों की कीमत का आईफोन सब उसे अरूण पटेल की बदौलत मिले थे।

इतना तो सगा नहीं करता फिर मौसेरा भाई क्यों करेगा? इस सवाल के जवाब में पुलिस के कानों तक इस बात की भनक लग गई कि मौसरे भाई-बहन होने के बावजूद बेहद खूबसूरत मीना और अरूण में एक दूसरा रिश्ता भी था। उसी रिश्ते के चलते मीना पति को छोड़कर साईखेड़ा में रह रही थी और इसी रिश्ते के बदले में अरूण पटेल मीना पर दौलत के बरसात किए हुए था।

अब पुलिस के पास शक पुख्ता करने के लिए मीना और अरूण के मोबाइल नंबर थे जिनकी लोकेशन निकालने पर यह साफ हो गया कि जिस रोज अज्ञात शव मिला था उससे 8 दिन पहले 26 अप्रैल की रात में मीना और अरूण दोनों के मोबाइल की लोकेशन सिरवारा ब्रिज पर थी। जांच आगे बढ़ी तो मीना के मोबाइल में एक ऐसा नंबर मिला जिससे उसकी अक्सर बात होती थी। यह बातें रात में भी होती थी और कई बार घंटो लंबी बातें होती थी। सबसे बड़ी बात तो यह कि जिस रोज मीना और अरूण की लोकेशन सिरवारा ब्रिज की दिख रही थी उस रोज मीना की इस नंबर पर कई बार बात हो नहीं हुई थी बल्कि यह नंबर कुछ समय तक मीना के मोबाइल के साथ साईखेड़ा की लोकेशन में भी रहा था जिसके बाद से मोबाइल बंद हो गया था। मोबाइल नंबर के आधार पर युवक की पहचान राजस्थान के भीलवाड़ा निवासी वीरू जाट उर्फ पप्पू के रूप में होने से जब उसके परिवार से संपर्क किया गया तो पता चला कि 32 वर्षीय वीरू रेत का कारोबार करता था। जिससे उसका नरसिंहपुर काफी आना जाना था। घर वालों ने यह भी बताया कि 26 अप्रैल को वीरू काम के सिलसिले में नरसिंहपुर गया था जिसके बाद से उसका कोई पता नहीं है।

पुलिस ने परिवार को बुलाकर शव के फोटो और उसके कपड़े जूते आदि दिखाए जिनकी मदद से परिवार वालों ने उसकी पहचान अपने बेटे वीरू के रूप में कर दी।

कहानी लगातार साफ होती जा रही थी इसलिए एसपी रायसेन श्री गुप्ता के निर्देश पर बाड़ी थाने की टीम साइबर सेल की मदद से संदिग्ध जोड़े की खोज में जुट गई जो कहने को तो मौसेरे भाई-बहन थे लेकिन इस रिश्ते के पीछे भी उनके बीच एक दूसरा रिश्ता था।

साइबर टीम की मेहनत रंग लाई जिससे इन दोनों की मोबाइल लोकेशन उज्जैन की मिलने पर पुलिस की एक टीम उज्जैन रवाना हो गई जहां लोकल पुलिस की मदद से महाकाल मंदिर इलाके की एक होटल से मीना और अरूण पटेल को हिरासत में ले लिया गया। इनके संग अलग कमरे में अरूण का लंगोटिया यार हरनाम सिंह किरार भी छुपा था। पुलिस तीनों को लेकर बाड़ी आ गई जहां एसडीओपी नीलम चौधरी द्वारा की गई पूछताछ में तीनों पहले तो पुलिस को धोखा देने की कोशिश करते रहे। उनका कहना था कि वो तो वीरू जाट नाम के किसी आदमी को जानते तक नहीं।

मीना भी वीरू को जानने से इंकार कर रही थी और उसका यही इंकार पुलिस के लिए सफलता की घंटी था। इसलिए पुलिस ने मीना के सामने वीरू के साथ उसके फोन काल का रिकार्ड और इंस्टाग्राम पर एक दूसरे के साथ हुई रोमांटिक चेटिंग और मिलने-मिलाने की बातों का हिसाब रखा तो मीना टूट गई। जिसके बाद मीना ने माना कि वीरू के साथ उसके बेहद गहरे प्रेम संबंध बन गए थे। यह संबंध उसके बचपन के प्रेमी अरूण को मंजूर नहीं थे। इसलिए उसने अरूण के कहने पर 26 अप्रैल को वीरू को मिलने के लिए साईखेड़ा में अपने घर बुलाया जहां पहले से योजना बनाकर छुपे अरूण पटेल और उसके दोस्त हरनाम सिंह किरार ने उसकी हत्या कर दी थी।

मीना के टूट जाने पर अरूण के पास कोई बहाना नहीं बचा इसलिए उसने भी अपना अपराध स्वीकार कर लिया जिसमें उसने हरनाम किरार के भागीदार होने की बात भी बता दी। जिसके बाद पुलिस ने तीनों के पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार और लाश फेंकने में उपयोग लाई गई एक्सयूवी बरामद कर तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जहां से उनको जेल भेज देने के बाद यह कहानी इस प्रकार सामने आई।

एक यार दो प्यार

घटना का खुलासा करते एसपी रायसेन आशुतोष गुप्ता

> अपने ऊपर करोड़ों लुटाने वाला अरूण जैसा प्रेमी मीना को दूसरा नहीं मिल सकता था। इसलिए उसने अरूण के कहने पर नए प्रेमी वीरू को मस्ती भरी मुलाकात के नाम पर घर बुलाया जहां अरूण ने अपने दोस्त हरनाम किरार के साथ मिलकर उसकी हत्या कर लाश को नागिन मोड़ पर फेंक दिया।

मीना का जन्म नरसिंहपुर जिले की साईखेड़ा तहसील के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही बेहद सुंदर और चंचल स्वभाव की मीना के बचपन से ही किस्मत ने उसके साथ खेलना शुरू कर दिया था। जब वह पांच-सात वर्ष की थी कि अचानक एक एक्सीडेंट में उसके पिता की मौत हो गई।

पति की मौत के बाद मीना की मां ने बजाए बेटी का जीवन संवारने के खुद की जवानी संवारने पर ध्यान दिया, जल्द ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली और मीना को बहन के हवाले कर पति के साथ चली गई।

नरसिंहपुर जिले में रहने वाली मीना की मौसी से उसे सहारा देकर अपने घर में रखकर पाला। इस तरह से मीना का बचपन अपनी मौसी के बेटे अरूण के साथ खेलते कूदते बीता जो उसका लगभग हम उम्र था। बचपन पार कर अरूण और मीना दोनों किशोर उम्र में प्रवेश कर चुके थे। उनका साथ खेलना और एक की कमरे में सोना अब भी जारी था। ऐसे में समय के साथ मीना और अरूण दोनों ही एक कमरे में सोने के दौरान अपने खून में अजीब सी हलचल महसूस करने लगे थे।

अरूण को समझ नहीं आता था कि आखिर अब उसका मन चौबीसों घंटे मीना के बारे में क्यों सोचने लगा। रात में मीना उसके कमरे सोती तो वह सोने के बताए सांस लेते समय मीना के शरीर में होने वाले उठाव और गिराव को ध्यान से देखता रहता। ऐसे में एक रोज जब उसका मन काबू में नहीं रहा तो वह अपने बिस्तर से उठकर मीना के बिस्तर पर जाकर उसके साथ लेट गया। कुछ देर तक वह चुपचाप लेटा रहा फिर उसने अपना एक हाथ मीना की कमर पर रख दिया। मीना शायद गहरी नींद में थी इसलिए उसने अरूण की इस हरकत का कोई जबाव नहीं दिया।

इसके बाद अरूण रोज रात में मीना की नींद लग जाने के बाद उसके साथ जाकर सोने लगा। इसी बीच एक रोज मीना की नींद खुल गई उसने अपनी कमर पर अरूण का हाथ देखा तो वह सब समझ गई। उसे भी अरूण का यूं छूना अच्छा लग रहा था इसलिए उसने कोई विरोध नहीं किया बल्कि कुछ देर के बाद जब अरूण का हाथ धीरे-धीरे खिसकते हुए पेट से ऊपर की तरफ आया तो हिम्मत करके 13 साल की हो चुकी मीना ने भी अपना हाथ अरूण के हाथ पर रख दिया।

इस तरह अनचाहे ही केवल उम्र के नशे में दोनों के बीच चंद रातों के बाद वह रिश्ता बन गया जो समाज के नजरों में मान्य नहीं था। दोनों एक घर में रहते थे रिश्ते के चलते उन पर कोई शक नहीं करता था इसलिए दोनों की अक्सर मौका मिलने पर शारीरिक सुख में डूबने लगे।

ढाई तीन साल तक यह सब चलता रहा। इसी बीच जब मौसी को लगा कि मीना अब बड़ी हो गई है तब उन्होंने मीना को अपने कमरे में सुलाना शुरू कर दिया। इस बात से अरूण और मीना दोनों की दुखी थे। उन्हें दिन में मिलने के मौके कम मिलते थे इसलिए उन्होंने योजना बनाई जिसके चलते मौसी के सो जाने के बाद मीना चुपचाप उठकर अरूण के कमरे में आ जाती और एक दूसरे की वासना का तूफान शांत होने के बाद वापस मौसी के कमरे में जाकर सो जाती।

एक छत के नीचे यह खेल ज्यादा दिन चलने वाला नहीं था। इसलिए एक रोज रात में मौसी ने इन मौसेरे भाई-बहन को आधी रात पाप में डूबे हुए पकड़ लिया।

बड़ी कठिन स्थिति थी। उन्होंने जो कुछ उस रात देखा था उसके बारे में किसी और को तो क्या खुद अपने पति को भी नहीं बता सकती थी। ऐसा करने पर पति उनकी बहन की बेटी मीना को ही दोषी ठहराते। इससे भी कठिन यह था कि मौसी न तो अनाथ मीना को घर से निकाल सकती थी और न खुद के बेटे को। इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकालते हुए 16 की उम्र में ही मीना की शादी कर उसे विदा कर दिया।

इस शादी से न मीना खुश थी और न अरूण मगर दोनों कुछ कर भी नहीं सकते थे। इसके बाद मीना जब भी मायके मौसी के घर आती मौसी चौबीसों घंटे उस पर और अपने बेटे पर नजर रखती। फिर भी कभी धोखा न हो जाए यह सोचकर दो-चार साल के बाद उन्होंने अपने बेटे की भी शादी कर दी। मीना और अरूण की शादी हो चुकी थी मगर उनके दिल अभी भी एक दूसरे के लिए ही धड़कते थे। चूंकि दोनों जानते थे कि उनके बीच जो कुछ होते मौसी ने देखा था उसका जिक्र उन्होंने किसी से भी नहीं किया था, मौसा से भी नहीं। इसलिए उन्हें किसी और का नहीं केवल मौसी का डर था।

इसलिए शादी के 13 साल बाद जब मौसी का डर दूर हुआ तो मीना पति को छोड़कर अपने बेटे को लेकर साईखेड़ा में आकर रहने लगी। दरअसल अरूण के पास अपार पुश्तैनी जायजाद थी वह खुद एक कंपनी में नौकरी भी करता था। इसलिए उसने मीना को भरोसा दिलाया था कि अगर वो पति को छोड़कर वापस उसके पास लौटती है तो वह उसे रानी बनाकर रखेगा।

शेष पृष्ठ 7 पर...

पुलिस गिरफ्त में तीनों आरोपी

मौसी के घर में रहते समय बन गए थे मौसेरे भाई से संबंध

आरोपी अरूण

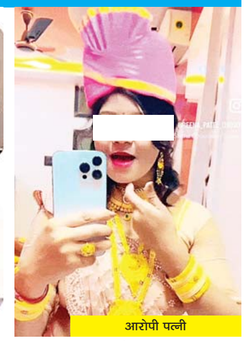

आरोपी पत्नी

मीना और अरूण सगे मौसेरे भाई-बहन है। बचपन में पिता की मृत्यु और मां के द्वारा दूसरी शादी कर लेने के बाद मौसी ने मीना को अपने घर में सहारा दिया था। इसी दौरान किशोर उम्र में ही मीना और उसके मौसेरे भाई अरूण के बीच संबंध बन गए थे। मीना की मौसी ने एक रात मीना और अपने बेटे अरूण को रंगे हाथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया था। लेकिन वे न मीना को घर से निकाल सकती थी न खुद के बेटे का इसलिए समस्या हल करने के लिए उन्होंने सोलह साल की उम्र में ही मीना की शादी कर दी थी।

बेटे की होमवर्क काफी से मिला सुराग

पप्पू का शव फेंकते वक्त मीना और अरूण, पप्पू के मीना के घर आने के सारे सबूत मिटा देना चाहते थे। इसलिए लाश के साथ उन्होंने उसके जूते कपड़े और कंघी जैसी छोटी चीजें भी बैग में रखकर लाश के साथ फेंक दी थी। संयोग से हत्या के समय कमरे में रखी मीना के बेटे की होमवर्क कापी पर खून के दाग लग गए थे इसलिए उन्होंने वह कापी भी सामान के साथ फेंक दी। बाद में इसी कापी पर टीचर के हस्ताक्षर की मदद से पुलिस साईखेड़ा में पहले टीचर के पास पहुंची जिसने काफी पहचान कर पुलिस को मीना के घर का पता बता दिया जिससे पूरा राज खुल गया।

मौसी द्वारा बात छुपाएं रखने का उठाया फायदा

मीना और अरूण को रंगे हाथ गलत काम करते देखने के बाद भी मौसी ने इस बात का जिक्र अपने पति तक से नहीं किया था। यह बात मीना और अरूण जानते थे कि उनके अवैध रिश्ते की जानकारी मौसी के अलावा किसी दूसरे को नहीं है। इसलिए जब मौका आया तो शादी के 13 साल बाद मीना पति को छोड़कर अपने बचपन के प्यार के पास आकर साईखेड़ा में रहने लगी थी।

नागिन मोड़ पर पड़ा शव

आरोपी

रील बनाने का शौकीन है आरोपी

एक करोड़ की एफडी, पचास लाख का मकान, आधा किलो सोना और ...

अरूण, मीना का कितना बड़ा दीवाना था इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब मीना पति को छोड़कर आई तो अरूण से मीना को पचास लाख का मकान रहने के लिए देने के अलावा उसके नाम पर एक करोड़ की एफडी की और आधा किलो सोने के जेवर के साथ बीस लाख की एक्सयूवी कार और डेढ़ लाख का फोन भी दिया था।

रील के शौक से जेल की सलाखों तक

प्रेमी के पास वापस आकर अचानक ही दो करोड़ से अधिक की संपति की मालकिन बनी मीना को अपनी सुंदरता को भुनाने के लिए रील बनाने का शौक हो गया था। इन्हीं रील पर पप्पू द्वारा किए जाने वाले कांमेट्स से प्रभावित होकर मीना के प्रेम संबंध पप्पू जाट से बन गए थे। बात खुलने पर अरूण के कहने पर मीना ने पप्पू को योजना बनाकर घर बुलाया और बचपन के प्रेमी तथा उसके एक दोस्त के साथ मिलकर नए प्रेमी की हत्या कर दी।